फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

सरकार जरिये एस.एच.ओ. दोलतपुरा बनाम शहनवाज व अन्य

केस संख्या:–154/2024 (राज. गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05-08-2024	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। विभागीय पैरोकार का कथन है कि ब सिलसिले राजस्थान गो वंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7 (1) के अनुसार दिनांक 18.07.2024 को सूचना मिलने पर करीब 10.50. एएम पर एन.एच 48 घीया यार्ड दिल्ली से जयपुर जाने वाली रोड पर घीया यार्ड के सामने एक कन्टेनर नम्बर यूपी 12 बीटी 7029 की जांच करने पर कन्टेनर में कुल 14 गौ वंश मिले जिनमे से 11 गायें व 3 छोटे बछड़ी व बछड़े रस्सियों से बंधे हुये थे। उक्त गो वंश मेरठ उत्तर प्रदेश से कन्टेनर में भर कर गुजरात में ले जाकर बेचना बताया, परन्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन करने बाबत कोई वैद्य अनुज्ञापत्र व अधिकार पत्र नहीं पेश किया गया जिस पर कन्टेनर व गौ वंश को जब्त कर गो वंश को प्रबन्धक राधे रानी गौशाला बिलौची को अस्थाई सुपुदर्गी पर दिया गया । अप्रार्थी वासिद के अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 18.07.2024 को अप्रार्थी 11 गायें व उनके 3 बछडी बछडे मेरठ उत्तर प्रदेश से बेचने के लिए गुजरात लेकर जा रहा था जिनको पुलिस थाना दौलतपुरा द्वारा जब्त कर राधेरानी गौशाला बिलौची को अस्थाई सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रार्थी उक्त गायों का मालिक व स्वामी है, जिसमें से अधिकतर गाये ब्याने वाली है । इन सभी गायों को पोष्टिक आहार की जरूरत है। गायों से किसी प्रकार का अनुसन्धान शेष नहीं है। इसलिए अप्रार्थी की जब्त गायों, बछड़ी व बछड़े को जमानत सुपुर्दगीनामें पर दिये जाने के आदेश फरमावें। उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने 11 गायों बाबत पशु चिकित्सा अधिकारी सरूरपुर (मेरठ) की रिपोर्ट पेश की है, जबकि 3 छोटे बछड़ी व बछड़े भी जब्त किये गये है, उनकी कोई चिकित्सक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य में गो वंश का परिवहन करने के लिए विधि मान्य परमिट आवश्यक है। राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनिमयन) नियम 1995 का नियम 7 इस प्रकार है–The person incharge of the Bovine animals shall carry with him a valid permit for migration or valid special permit for export of Bovine Animals While Carrying them outside the state. अर्थात गो वंश पशुओं को राज्य से	

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

सरकार जरिये एस.एच.ओ. दोलतपुरा बनाम शहनवाज व अन्य

केस संख्या:— 154/2024 (राज. गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
	बाहर ले जाते समय प्रवजन के लिए विधि मान्य परमिट या निर्यात के लि विधिमान्य विशेष परमिट अपने साथ रखेगा, किन्तु अप्रार्थी ने दौराने जांच ए सुनवाई ऐसा कोई परमिट पेश नहीं किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थान दोलतपुरा ने अप्रार्थीगण के कब्जे से बिना परमिट अवैध रूप से परिवहन कि जा रहे गोवंश को अस्थायी रूप से जब्त कर राधेरानी गौशाला बिलौंची क सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। अत राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात क विनियमन) अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत प्रकरण में अस्थाई रूप से जब्त गोवंश को जब्त सरकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी वासिद क बाबत जमानत सुपुर्दगीनामा पर दिये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जात है। पत्रावली नम्बर से कम हो।
केस नम्बरी प्रेल ज्ञापन क्रियान्वित [signature] 10368 6/8/24	[signature] जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner